



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-21022023-243764
CG-UP-E-21022023-243764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 749]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944

No. 749]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

झाँसी, 13 फरवरी, 2023

का.आ. 781(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (411 किमी)” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोबा, जिला महोबा उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उप वर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन के दोहरीकरण (411 कि.मी.) के लिए महोबा जिले के महोबा तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमिका संक्षिप्त विवरण।

क्र. स.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हे.)
1	महोबा	अकबई	230	0.1662
2			229	0.0596
3			227	0.1259
4			226	0.0382
5			224	0.0054
6			223	0.0254
7			212	0.1894
			कुलयोग	0.6101
8	महोबा	पचपहरा	659	0.0429
9			660	0.1094
10			662/1	0.0530
11			681	0.0674
12			682	0.0881
13			683	0.1141
14			684	0.1942
			कुलयोग	0.6691

[ई. फा. सं. एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य सी.ई.एन.जी. (भूमि)/5/2022 ओ/ओ डिप्टी.सी.ई./सी.-1 झाँसी (कम्प्यूटर नं. 60371)]

मंजुल माथुर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Jhansi, the 13th February, 2023

S.O. 781(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, “**Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling Railway Project (411 km)**” in the district of Mahoba in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, ADM (Finance & Revenue) Mahoba, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling (411 km) Project Under Mahoba Tehsil of Mahoba District in the state of Uttar Pradesh.

Sr. No	Name of Tehsil	Name of Village	Plot No	Area to be acquired (in Hect.)
1	Mahoba	Akbai	230	0.1662
2			229	0.0596
3			227	0.1259
4			226	0.0382
5			224	0.0054
6			223	0.0254
7			212	0.1894
			Total area	0.6101
8	Mahoba	Pachpahara	659	0.0429
9			660	0.1094
10			662/1	0.0530
11			681	0.0674
12			682	0.0881
13			683	0.1141
14			684	0.1942
			Total area	0.6691

[e-file No. NCR-HQOCENG(LAND)/5/2022-O/o DY.CE/C-I/JHS(Computer No. 60371)]

MANJUL MATHUR, Chief Administrative Officer (Cons.)